वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0 283 /जो0 अ0 दिनांक 2/3/19

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी। श्री सालासर डेवलपर्स प्रा0 लि0 निदेशक

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री अनिल अग्रवाल ~~पिता/पति का नाम श्री~~ पुत्र राम अवतार अग्रवाल आराजी संख्या 44, 47, 48 व 45, 46, 10 मौजा शिवपुर वार्ड शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक.......................20

(मुहर: उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी — 37/16 शू.स्ना. निरस्त)

कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1– यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर ____________दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

शर्तें—

1. आन्तिरिक विकास व्यय को प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होगा तथा प्रोजेक्ट लागत के नियमानुसार एरिया को बंधक रखना होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य को वाटर ग्राउड बोर्ड के डिजाइन के अनुसार करना होगा।
3. भवन उपविधि के अनुसार वृक्षा रोपण करना होगा।
4. कूड़ा के स्थान को चिन्हित करना होगा।
5. पक्ष को एन0जी0टी0 के संलग्न नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
6. स्थल पर एक बोर्ड पर लगाना होगा, जिसपर स्वीकृत सम्बन्धित विवरण अंकित होगा।
7. क्षेत्र में पी0एन0जी0 उपलब्धता होने पर पक्ष को पी0एन0जी0 कनेक्शन लेने होगा।
8. निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
9. भविष्य में विभाग द्वारा शुल्कों की कोई देयता निकलती है, तो पक्ष को देय होगा।
10. स्वीकृत मानचित्र की छाया प्रति स्थल पर रखा जायेगा, ताकि मौके पर कभी भी जाँच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
11. शपथ पत्र में दिये गये कथन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
12. भू–स्वामित्व सम्बन्धित, रास्ता सम्बन्धित, बटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।

21/2/19

Scanned with CamScanner